न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 139/2022 G.C.M.S. No. 2022/354 दर्ज दिनांक : 23.12.2022

अपीलार्थिगण:

1. लालाराम उर्फ ललीत कुमार पुत्र चुना उर्फ चुन्नीलाल जी, उम्र 51 वर्ष, जाति भाट, निवासी उतवण तहसील व जिला पाली।
2. मृत अलुड़ी पत्नि श्री चुना उर्फ चुन्नीलाल जी, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली के विधिक वारिसानः–
   - 2/1 जसीया देवी पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलालजी पत्नि सोनारामजी, जाति भाट, उम्र 57 वर्ष निवासी 282, भांबियों का बास, मण्डली खुर्द तहसील व जिला पाली।
   - 2/2 शांतिदेवी पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलाल जी पत्नि मांगीलालजी, उम्र 53 वर्ष, जाति भाट निवासी 307, सुभाष नगर बी, पाली।
   - 2/3 कन्या पुत्री चुना उर्फ चुन्नीलालजी, पत्नि पोलारामजी, उम्र 50 वर्ष, जाति भाट, निवासी संतोषपुरा, मसूरीया जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मनोहर रामावत पुत्र श्री तुलसीदासजी रामावत, उम्र बालिग, जाति वैष्णव, निवासी नवी पाटी, नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली हाल निवासी 306, रोमन क्यू, चिकोटी गार्डन, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 (तेलंगाना)
2. किरण रामावत, पत्नी मनोहर रामावत, उम्र बालिग, जाति वैष्णव, निवासी नवी पाटी, नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली हाल निवासी 306, रोमन क्यू, चिकोटी गार्डन, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 (तेलंगाना)
3. पारसमल पुत्र ताराचंदजी, जाति जैन, उम्र बालिग, निवासी 45 बालियों का बास, पाली।
4. मृत जीवा पुत्र सुरता, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील पाली जिला पाली के विधिक वारिसानः–
   - 4/1 देवाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली
   - 4/2 घीसाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग
   - 4/3 सूजाराम पुत्र जीवाजी, उम्र बालिग, जातिगण भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली।
   - 4/4 उगीया देवी, पुत्री जीवा जी पत्नि मिश्रीलालजी, उम्र बालिग, जाति भाट, निवासी हाथलाई तहसील व जिला पाली।
   - 4/5 मूलीदेवी पुत्री जीवा जी, पत्नि वाघारामजी, जाति भाट, निवासी आकेली, तहसील व जिला पाली।
   - 4/6 सीतादेवी पुत्री जीवा जी, जाति भाट, निवासी उतवण, तहसील व जिला पाली।
   - 4/7 कन्यादेवी पुत्री जीवा जी, पत्नि नारायण जी, जाति भाट, निवासी उतवण तहसील व जिला पाली हाल निवासी रामासिया, तहसील व जिला पाली।
5. समंदरनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. राजुनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग
7. जवाहरनाथ पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग
8. हडमान पुत्र सांवलनाथ जी, उम्र बालिग, जातिगण नाथ, निवासीगण विजय आदर्श स्कूल के पास, उतवण, तहसील व जिला पाली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 43 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.11.2022

पैरोकार –

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, श्री भरत उपाध्याय, श्री अर्जुनकुमार राठौड़, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 12.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 43 नियम 1 व धारा 151 सीपीसी विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादीगण ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम उतवण पटवार क्षेत्र बोमदडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खैरवा तहसील पाली जिला पाली के खसरा संख्या 452 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा और खसरा संख्या 453 रकबा 46 बीघा 08 बिस्वा के बंटवाडे का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 07.04.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश और दिनांक 23.08.2022 को एकतरफा प्राथमिक डिक्री पारित की। दिनांक 26.09.2022 को संबंधित पटवारी ने अपीलार्थी लालाराम को फोन कर सूचित किया कि इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा जो प्राथमिक डिकी पारित की है, उस बाबत् मौके पर बंटवाड़े की कार्यवाही कर रिपोर्ट तैयार करनी है, इसलिए वो मौके पर आवे, तब अपीलार्थी लालाराम ने तुरन्त संबंधित पटवारी से संपर्क किया, तब उसे दिनांक 23.08.2022 को पारित प्राथमिक डिक्री की पहली बार जानकारी हुई और उसने यह जानकारी तुरन्त प्रभाव से अन्य अपीलार्थीगण को दी और अपीलार्थी लालाराम ने अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की, जो प्रमाणित प्रति दिनांक 04.10.2022 को प्राप्त हुई, तब उसे दिनांक 07.04.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2022 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश की और दिनांक 23.08.2022 को पारित अपीलाधीन प्राथमिक डिकी की जानकारी हुई, जो जानकारी अपीलार्थी लालाराम ने अन्य अपीलार्थीगण को दी। तब अपीलार्थीगण की ओर से तुरन्त योग्य अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र एकतरफा कार्यवाही आदेश और एकतरफा प्राथमिक डिकी अपास्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने और तब तक अंतिम डिकी पारित नहीं करने बाबत् प्रस्तुत किया गया और एक प्रार्थना पत्र बंटवाड़ा प्रस्ताव पर आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु भी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 एवं नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत् दिनांक 07.10.2022 को प्रस्तुत किया गया, जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2022 को खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है कि दिनांक 12.04.2016 को कन्या पुत्री चुना पत्नी पोला की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 12.04.2017 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, जिसके विरूद्ध रेवेन्यू बोर्ड में कार्यवाही की गई थी और राजस्व मण्डल द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 12.04.2017 अपास्त किया था और इस कन्या पुत्री चुना पत्नी पोला को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये थे जो आदेश दिनांक 03.09.2021 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुए थे, उसके बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस कन्या पुत्री चुना पत्नी पोला को पक्षकार नहीं बनाया। इन परिस्थितियों में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था, जो नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की है। दिनांक 01.11.2021 को वादी ने आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं धारा 151 सीपीसी व धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर उपस्थित प्रतिवादीगण ने अनापत्ति की और प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के आदेश दिये गये, परन्तु कोई सम्मन जारी नहीं किये गये। इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था, जो नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की है। दिनांक 07.04.2022 को प्रतिवादी संख्या एक और प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 की तामिल मानते हुए उनकी ओर से कोई उपस्थित नही होना मानकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे, जो अपास्त किये जाने योग्य थे, इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार करना चाहिए था, जो नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की है। प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु पर जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया था उसमें प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 का और प्रतिवादी संख्या 2/3 कन्या का नाम दर्ज नही किया गया था उसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 2/3 कन्या को प्रतिवादी संख्या 02 के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बना दिया। इन परिस्थितियों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था, जो नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि का बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2022 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 07.11.2022 को अंतिम डिक्री किया गया। जिनके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा पृथक से अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई हैं। विचारण न्यायालय में वाद विचारण के दौरान दिनांक 07.04.2022 को बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 23.08.2022 को पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.11.2022 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों के अवलोकन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि चूंकि अपीलांट द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरूद्ध पृथक से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं तथा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में भी इस संबंध में उज्र लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में समानांतर हस्तगत अपील का कोई औचित्य व सार नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह आक्षेप किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को दिनांक 07.04.2022 को प्रेषित नोटिस अपीलांट्स पर कभी भी व्यक्तिगत तामील नहीं हुए तथा उस नोटिस के साथ वादपत्र की प्रति लगी हुई नहीं थीं। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनन भूल की हैं। जो काबिल अपास्त है।

4. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विस्तृत विवेचन के साथ अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हों कि अपीलांट्स को समुचित तामील नहीं हुई थीं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एकतरफ अपीलांट्स द्वारा समुचित तामील नहीं होने का कथन किया गया है वहीं यह भी कथन किया गया है कि सम्मन के साथ वादपत्र की प्रति नहीं थीं। इससे यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट्स को सम्मन की प्रतियां प्राप्त हुई थीं अर्थात विधिवत तामील हुई थीं। अतः अपीलांट्स द्वारा किए गए आक्षेप मनगढ़ंत, परस्पर विरोधाभासी व अस्वीकार्य है तथा अपीलांट्स अपील को बखूबी साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 595/2015 बअनवान मनोहर रामावत वगैरह बनाम लालाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.11.2022 की पुष्टि जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **12.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner